

प्रेषक,

अखिलेश सिंह,
विशेष सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 13 नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि निकाय योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी दशा में उक्त दिनांक से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेश द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उO प्रO लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

क्र. सं	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	अम्बेडकर नगर	न.पं. अशरफपुर किछौछा	04आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.03.2018	17.50	31.12.2018
2	बहराइच	न.पं. रिसिया	720आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 14.03.2018	17.50	31.12.2018
3	बरेली	न.पं. शीशगढ	720आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 14.03.2018	15.00	31.12.2018
4	पीलीभीत	न.पं. न्यूरिया हुसैनपुर	04आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.03.2018	15.00	31.12.2018
5	मुजफ्फरनगर	न.पं. जानसठ	04आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.03.2018	17.50	31.12.2018
6	शाहजहापुर	न.पा.प. जलालाबाद	721आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 14.03.2018	17.00	31.12.2018
7	मुरादाबाद	न.पं. कुन्दरकी	636आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 16.03.2018	20.00	31.12.2018
8	सीतापुर	न.पा.प. बिरवा	2493आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 16.03.2018	35.00	31.12.2018
9	उन्नाव	न.पं. फतेहपुर चौसरी	720आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 14.03.2018	10.00	31.12.2018
10	सीतापुर	न.पं. खैराबाद	2493आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 16.03.2018	60.00	31.12.2018
11	गोरखपुर	न.पं. सहजनवा	04आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.03.2018	50.00	31.12.2018

12	बलरामपुर	न.पं. पंचपेडवा	04आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.03.2018	17.50	31.12.2018
13	बिजनौर	न.पा.प. किरतपुर	03आ.न.यो./9-8-2018-39आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 26.03.2018	30.00	31.12.2018

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अखिलेश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1413 (1)आ.न.यो./9-8-18 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।